# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

ठासीन अधिकारीः— श्री शिवपाल जाट (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बरः— 33/2016

1. इन्द्राज सिंह पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी हांसलसर तहसील उदयपुरवाटी
2. महावीर पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी हांसलसर तहसील उदयपुरवाटी
3. धूमादेवी पत्नि हीराराम जाति जाट निवासी हांसलसर तहसील उदयपुरवाटी

वादीगण

बनाम

1. बनारसी देवी पत्नि स्व. महीपाल जाति जाट निवासी हांसलसर तहसील उदयपुरवाटी
2. बुद्धराम पुत्र जगनाराम जाति जाट निवासी हांसलसर तहसील उदयपुरवाटी
3. मघाराम पुत्र चन्द्रा जाति जाट निवासी हांसलसर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
4. राज्य सरकार लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
5. मंजु पुत्री महीपाल जाति जाट निवासी हांसलसर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

प्रतिवादीगण

**दावा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा**

निर्णय दिनांक 16-10-20

वादी ने जरिये वकील वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम हांसलसर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 340, 359, 465, 998, 1082, 1482/401 किता 6 कुल रकबा 4.17 है0 अवस्थित है। इस भूमि को वादपत्र में आगे विवादित भूमि के नाम से जाना जावेगा। विवादित भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/3, प्रतिवादी नं. 1 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी नं. 2 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी नं. 3 का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। कब्जा व काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं है। विवादित भूमि शामलाती भूमि होने के कारण वादीगण अपने हिस्से की भूमि में आवश्यक सुधार आदि एवं सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं ले पा रहे है। जिसके लिए वाद बंटवारा पेश करना आवश्यक हुआ। प्रतिवादीगण सीमाओं के साथ छेड़ छाड़ नहीं करें इसलिए वाद स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया जा रहा है। अंत में निवेदन किया है कि ग्राम हांसलसर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 340, 359, 465, 998, 1082, 1482/401 किता 6 कुल रकबा 4.17 है0 में वादीगण का हिस्सा 1/3 का विधिवत विभाजन किया जाकर अलग खाता एवं लगान कायम किया जावे, तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई व्यादेश से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। वाद पत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

प्रतिवादी नं. 3 ने जरिये वकील अपना जबाब दावा इकबालिया प्रस्तुत किया है कि वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तो कोई एतराज आपति नहीं है। प्रतिवादी नं. 2 बावजूद तामिल सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद तामिल सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकलाय के निवेदन पर प्रकरण में बहस अंतिम श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम हांसलसर

उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (राज.)

Scanned by CamScanner

सरहद में भूमि खसरा नम्बर 340, 359, 465, 998, 1082, 1482/401 किता 6 कुल रकबा 4.17 है0 में वादीगण का हिस्सा 1/3 का विधिवत विभाजन किया जाकर अलग खाता एवं लगान कायम किया जावे, तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई व्यादेश से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के उपयोग उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें।

प्रतिवादी नं. 3 के वकील ने दौराने बहस कथन किया कि वादी का वादपत्र डिक्री किया जाता है तो कोई एतराज नहीं है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकलाय की बहस पर मनन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 ग्राम हांसलसर के अनुसार ग्राम हांसलसर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 340, 359, 465, 998, 1082, 1482/401 किता 6 कुल रकबा 4.17 है0 की खातेदारी बुद्धराम पि0 जगन्नाराम हिस्सा 1/6, मघा पु0 चन्द्रा हि. 1/3, महावीर प्रसाद इन्द्राजसिंह पि. हीराराम धूमा पत्नि हीरारांम हि0 1/3 व मंजु पुत्री महिपाल हि0 1/6 जाति जाट सा0 देह के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि शामलाती कृषि भूमि है तथा विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण के वकील उक्त वर्णित भूमि में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन करवाने पर सहमत है। उक्त विवेचन से वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

## आदेश

**वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम हांसलसर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 340, 359, 465, 998, 1082, 1482/401 किता 6 कुल रकबा 4.17 है0 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 , 3 व 5 के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभयपक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करें तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में एक माह में प्रस्तुत करें।**

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 16/10/17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned by CamScanner